

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
शुद्धि-पत्र

संख्या – 3/स्था०(1) 05/2022 –

/ पटना – 15, दिनांक –

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1393, दिनांक 24.03.2025 में अंकित तालिका के स्तंभ-4 में अंकित "प्रशाखा पदाधिकारी" के स्थान पर "प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक निदेशक" पढ़ा एवं समझा जाए।

2. उक्त कार्यालय आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(1) 05/2022 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अवर सचिव/सहायक निदेशक/लेखा शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, पशुपालन निदेशालय तथा संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(1) 05/2022 –

/ पटना – 15, दिनांक –

प्रतिलिपि – निदेशक, पशुपालन/मत्स्य/गव्य विकास, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

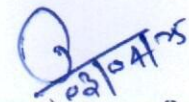
ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक – 3/स्था०(1) 05/2022 – 1586

/ पटना – 15, दिनांक – 03/04/25

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।